न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 149/2011
प्रविष्टि दिनांक 24.05.2011

1–हेमपाल पुत्र प्रहलादराय जाट निवासी विजयगढ़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0
2–शंकर पुत्र प्रहलादराय जाट निवासी विजयगढ़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0
3–दलभर बेवा प्रहलादराय जाट निवासी विजयगढ़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0
4–आशा पुत्री प्रहलादराय जाट निवासी विजयगढ़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0
5–रसाली पुत्री प्रहलादराय जाट निवासी विजयगढ़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0
6–सुनीता पुत्री प्रहलादराय जाट निवासी विजयगढ़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0

.... प्रार्थीगण

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण,परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित–(1) श्री शिवराज टाडी ओमप्रकाश यादव, अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री रामअवतार सोनी,अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 20–10–2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम बंथली तहसील देवली की भूमि ख0नं0 1911 में 700 वर्गमीटर का मुआवजा कृषि भूमि चाही–1 की दर से निर्धारण किया गया है। अतः अवार्ड दिनांक 28–6–2010 को निरस्त कर 700 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा आद्योगिक दर से मय 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 1850/09 दिनांक 28.06.2010 तलब की गई। प्रा[illegible] अभिभाषक अनु0।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने [illegible] लिखित बहस प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु [illegible] भूमि ख0नं0 [illegible] रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:48:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

700 वर्गमीटर वाके ग्राम बन्थली मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात 3 सी के अन्तर्गत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुये धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुद्वा भूमि पर स्थित (structures) का मुआवजा स्वतंत्र कन्सलटैट मैसर्स अजीत सर्वे एंव कन्सलटेन्ट्स प्रा.लि. जयपुर से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राज0सरकार की प्रभावी बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट (बी.सी.आर) के अनुसार मूल्यांकन कराया है,जो पूर्णतः सही व उचित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म चाही–1 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एन0एच–12 टोंक क्षेत्र (अति0 जिला कलेक्टर टोंक) द्वारा अवार्ड सं0 1850/09 दिनांक 28.6.2010 हेमपाल,शंकर पुत्र दलभर बेवा, आशा,रसाली,सुनीता पुत्रियां प्रहलादराय कोम जाट साकिन विजयगढ के हक मे ख0नं0 1911 मे 700 वर्गमीटर का चाही–1 की दर से जारी किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा निर्माण ओद्योगिक रूपान्तरण के सम्बन्ध में कोई सबुत दस्तावेज पेश नही किये हैं। रूपान्तरण आदेश क्रमांक 689 दिनांक 26–2–1996 की प्रति पेश की है वह इस खसरे से सम्बन्धित न होकर खसरा नम्बर 1450 की पेश की गई है। अधिसूचना के प्रकाशन के समय अधिग्रिहित उक्त भूमि किस्म चाही–1 दर्ज थी। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 20–10–2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:48:54 IST
Reason: SelfAttested